E-mail address :- adbmwsag@mp.gov.in
Phone N0. - 07582-266018

क्रमांक/पि. वर्ग / एम.पी.टास्क. / 2023-24 / 130

सागर दिनांक 09/02/ 2024

प्रति

अधिष्ठाता / प्राचार्य / संस्था प्रमुख,
केन्द्रीय विश्वविद्यालय डॉ हरिसिंह गौर, समस्त शास. / अशास. आई.टी.आई.
/ पॉलिटेक्निक / महाविद्यालय
जिला सागर (म0प्र0)

विषयः- पिछड़ा वर्ग पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति अंतर्गत अपात्र विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति न दिए जाने के संबंध में।
संदर्भः- म.प्र. शासन पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-12-01/11/54/-1,भोपाल दिनांक 12-12-2013 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र अंतर्गत संज्ञान में आया है कि एक ही विद्यार्थी द्वारा दौबारा व्यावसायिक पाठ्यक्रम हेतु छात्रवृत्ति आवेदन कर छात्रवृत्ति ली जाने की शिकायत प्राप्त हो रही है, जो कि नियमानुसार अनुचित है।

संदर्भित पत्र की कंडिका क्रमांक 3.7 के अनुसार ऐसे उम्मीदवार, जो किसी एक व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त कर लेने के बाद किसी दूसरे व्यवसाय में शैक्षणिक योग्यता प्राप्त करने के लिए,अध्ययन प्रारंभ कर दें, जैसे बी.टी / बी.एड. के बाद एल.एल.बी. करने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगें।

इसी प्रकार कंडिका क्रमांक 3.6 के अनुसार ऐसे उम्मीदवार, जो शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में किसी दूसरे विषय में अध्ययन करने लगे, उदाहरणार्थ बी.कॉम के बाद बी.ए करने लगे या एक विषय में एम.ए. करने के बाद किसी दूसरे विषय में एम.ए. करने वाले छात्र इसके पात्र नहीं होंगें।

स्कालरशिप पोर्टल 2.0 तथा एम.पी. टास्क पोर्टल में सिंक्रोनाइजेशन न होने के कारण यह संभव है कि कोई विद्यार्थी उक्त कंडिका क्रमांक 3.7 व 3.6 के अनुसार अपात्र होने पर भी छात्रवृत्ति प्राप्त कर लें, जो नियम विरुद्ध होगा तथा संस्था द्वारा वेरीफाई किये जाने व नोडल, द्वारा एप्रूव्ड व सैंक्शन किये जाने के कारण इस प्रकार की विसंगति हेतु संबंधित संस्था एवं नोडल जिम्मेदार होंगें।

कृपया उपरोक्तानुसार आपके द्वारा आवेदन अग्रेषित व स्वीकृत करते समय इस पर सूक्ष्मता से ध्यान दिया जावें तथा विद्यार्थी के पूर्व वर्षो की अंकसूची / टीसी एवं प्राप्त छात्रवृत्ति का समुचित परीक्षण किया जावे,ताकि नियम विरुद्ध छात्रवृत्ति का भुगतान न हो सकें।

S. Chaubey

सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण
जिला सागर म0प्र0

पृ.क्रमांक / पि.वर्ग / एम.पी.टास्क. / 2023-24 / 130 सागर,दिनांक 09/02/ 2024

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त महोदय, पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण म0प्र0 भोपाल की ओर सूचनार्थ सादर संप्रेषित।
2. कलेक्टर महोदय, जिला सागर की ओर सादर सूचनार्थ।

S. Chaubey

सहायक संचालक
पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण

डॉक्टर हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर म.प्र.

DR. HARISINGH GOUR VISHWAVIDYALAYA SAGAR M.P.

(केन्द्रीय विश्वविद्यालय/ A Central University)

कमांक/SC/ST Cell / 05 / 23-24 / 401 दिनांक 14 फरवरी 2024

प्रतिलिपि

1. समस्त अधिष्ठाता / सतस्त विभागाध्यक्ष डॉ. हरीसिंह गौर विश्वविद्यालय सागर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. माननीय कुलपति महोदया जी के सचिव को सूचनार्थ ।
3. श्रीमान् कुलसचिव महोदय जी के निजी सहायक को सूचनार्थ ।
4. प्रभारी विश्वविद्यालय वेवसाईट सेल- वेवसाईट पर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
5. संकाय / विभाग के सूचना पलट पर चस्पा ।